फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कृष्णदास बनाम विपक्षी : श्री कृष्णदास व अन्य

केस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 73/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 8 की तरफ से वकालत पत्र अधिवक्ता श्री मुकेश डांगी द्वारा पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्त की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोल्यों का साथ पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 213 की आराजी नम्बर 914 किता 1 रकबा 1.000 है. भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 214 की आराजी नम्बर 144, 145, 160, 161 किता 4 रकबा 1.2800 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested